



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]  
No. 457]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2007

सा.का.नि. 656(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 20 जनवरी, 2006 में सा.का.नि. संख्यांक 32(अ) तारीख 18 जनवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ की पंक्ति 10 में "2005" के स्थान पर "2006" रखें।

[फा. सं. 9(2)/2003-ईसी]

एम. माधवन नाम्बियार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th October, 2007

G.S.R. 656(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology, vide number G.S.R. 32(E), dated the 18th January, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th January, 2006, in line 13, for "2005", substitute "2006".

[F.No.9(2)/2003-EC]

M. MADHAVAN NAMBIAR, Addl. Secy.